



Neutral Citation No. -

2026:AHC:53504

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन धारा 482 बीएनएसएस संख्या - 2258 वर्ष 2026

अब्दुल वाहिद

...आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

...प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता: राजीव कुमार सैनी, रेखा पटेल

प्रतिवादी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 72

माननीय न्यायमूर्ति जीतेन्द्र कुमार सिन्हा

1. आवेदक के अधिवक्ता श्री राजीव कुमार सैनी और सुश्री रेखा पटेल की दलीलें सुनी गईं, और राज्य की ओर से अधिवक्ता श्री बी.पी. सिंह, जो कि एक कानूनी सलाहकार हैं, का रिकॉर्ड देखा गया।
2. यह आवेदन अग्रिम जमानत के लिए दायर किया गया है मुकदमा अपराध संख्या 68/2026, धारा 109(1), 115(2), 352 बीएनएस के तहत, पुलिस स्टेशन कोतवाली शहर, जिला बिजनौर में, इस प्रार्थना के साथ कि गिरफ्तारी की स्थिति में, आवेदक को जमानत पर रिहा कर दिया जाए।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि आवेदक निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। आगे यह भी कहा गया है कि आवेदक प्रथम शिकायतकर्ता का ससुर है और वर्तमान विवाद वैवाहिक विवाद है, जिसे किसी गंभीर अपराध का रंग दिया गया है। यह भी कहा गया है कि घायलों की कोई भी चोट गंभीर प्रकृति की नहीं पाई गई है या जानलेवा नहीं है। यह भी कहा गया है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यह भी कहा गया है कि आवेदक मुकदमे के दौरान सहयोग करने का वचन देता है और वह जांच एजेंसी या न्यायालय द्वारा आवश्यकता पड़ने पर उपस्थित होगा।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



यह कहा गया है कि यदि आवेदक को अग्रिम जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और जांच में सहयोग करेगा तथा जमानत की सभी शर्तों का पालन करेगा।

4. दूसरी ओर, विद्वान ए.जी.ए. ने अग्रिम जमानत के आवेदन का विरोध किया है।

5. आवेदक प्रथम शिकायतकर्ता का ससुर है और वर्तमान विवाद वैवाहिक विवाद है। घायल व्यक्ति की कोई भी चोट गंभीर या जानलेवा नहीं पाई गई है। यह भी निवेदन किया जाता है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यह उल्लेख किया जा सकता है कि सिद्धाराम सतलिंगप्पा महेत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य (2011) 1 एससीसी 694 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना है कि अग्रिम जमानत पर निर्णय लेते समय न्यायालय को आरोप की प्रकृति और गंभीरता, आरोपी का पूर्ववृत्त, आरोपी के न्याय से भागने की संभावना पर विचार करना चाहिए और आरोपी के विरुद्ध उपलब्ध सभी साक्ष्यों का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए तथा आरोपी की सटीक भूमिका पर भी विचार करना चाहिए।

7. इस मामले में, अग्रिम जमानत से संबंधित कानून के स्थापित सिद्धांत, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलें, आवेदक की भूमिका और मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, मामले की खूबियों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, अग्रिम जमानत का मामला बनता है।

8. अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

9. उपरोक्त मामले में आरोपी अब्दुल वाहिद की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे 50,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो जमानती पेश करने पर अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा, जो संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप हो, निम्नलिखित शर्तों के साथ:

(i) आवेदक साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा और वह निर्धारित तिथि पर ट्रायल न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा उसे छूट न दी जाए;

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी ऐसे व्यक्ति को प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जो मामले के तथ्यों से परिचित हो, जिससे उसे न्यायालय या किसी भी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके;

(iii) आवेदक मुकदमे के दौरान सहयोग करेगा और जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(iv) आवेदक संबंधित न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

10. किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, अभियोजन पक्ष को आवेदक को दी गई अग्रिम जमानत रद्द करने के लिए उचित आवेदन दाखिल करने की स्वतंत्रता होगी।

17 मार्च, 2026

(न्यायमूर्ति जीतेन्द्र कुमार सिन्हा)

आरकेएम

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"